



आयकर आयुक्त-II का कार्यालय

सत्यग्रह जयते

आयकर भवन, 31, सी-2, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

संख्या : चो/आ.आ.2/तकनिकी/12 कक्ष/ २८/२०१०-११/६८

दिनांक २३/११/२०१०

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कक्ष (12 AA) के अधिन

पंजीयन प्रमाणपत्र

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत न्यास / संस्थाओं के रखे हुए रजिष्टर में

हेरिटेज कल्चर, आई एंड रज्यकलेशन डेवलपमेंट
सोसायटी, लोडा, जिल्हा - २०११/लिरी का नाम दर्ज किया गया है।

२. उसकी प्रमाणपत्र संख्या को. आ. आ.-२/तकनिकी/१२कक्ष/ २८/२०१०-११ है।

यह न्यास/संस्था दिनांक ०४/०५/२०१० से (निर्धारण वर्ष छठा-१२) पंजीकृत
की जाती है।

३. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 (क) (2) की ओर न्यास / संस्था का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (4 क) के अंतर्गत आयकर विवरणी दायर करनी होगी। तथा आयकर नियमावली 1962 के नियम 17 ख (17 B) का पालन करना होगा। और प्रारूप नं. 10 ख (10 B) में लेखा रिपोर्ट देनी होगी।

दिनांक: २३/११/२०१०

कोल्हापुर



हस्ता/—

(सौ. पुष्पलता श्रीवास्तव)
(Sou. Pushplata Srivastav)
आयकर आयुक्त - II / C. I. T. - II
कोल्हापुर / Kolhapur.

- न्यास / संस्था धार्मिक न्यास / धर्मादाय न्यास / संस्था के रूपमें पंजीकृत की गयी है।
- धार्मिक न्यास / संस्थाओं के दान कर्ता धारा ८०-छ (८०-जी) के अधिन कर राहत के लिये भागी नहीं हो सकते।
- धर्मादाय न्यास / संस्थाओं के दान कर्ता धारा ८०-छ (८०-जी) के अधिन कर राहत के लिये भागी बनने के लिये आवागम प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

■ प्रति :

- न्यास / संस्था हेरिटेज कल्चर, आई एंड रज्यकलेशन डेवलपमेंट सोसायटी
बारा: समर्थ इंडियन्स, बी-२०३, सातवली रोड, कुपोला: वर्दळ
डी: इन्डियन्स - ४१६७०१
- अतिरिक्त आयकर परिसर - १२/ कोल्हापुर / इल्जाली/इच्छारंडी
- सहायक आयकर आयुक्त सर्कत ————— / आयकर अधिकारी चॉर्ड - (इन्डियन्स)
(रक्षणात्मक के साथ)

(इस्ट. एम. कृष्णाराम),
आयकर अधिकारी / Income Tax Officer
न्यायिक एवं तकनीकी / Judicial & Technical
आयकर आयुक्त - II का कार्यालय / O/o the C. I. T. - II
कोल्हापुर / Kolhapur.

ATTESTED

Executive Magistrate
Lalaji